



2026:AHC:35166

उच्च न्यायालय इलाहाबाद
रिट- सी संख्या- 5168 सन् 2026

कृष्ण कुमार

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... प्रत्यर्थागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अनवर खान, धनंजय कुमार मिश्रा
प्रत्यर्थागण के अधिवक्ता : आजाद राय, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा की गई एकमात्र प्रार्थना यह है कि प्रत्यर्था संख्या 3, अर्थात् उप- मण्डल अधिकारी, तहसील- हांडिया, जिला प्रयागराज को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 116 के तहत मामला संख्या 1998 सन् 2021 (कंप्यूटरीकृत मामला संख्या टी 202102030401998), कृष्ण कुमार एवं अन्य बनाम उम शंकर एवं अन्य, का निर्णय निर्धारित अवधि के भीतर किया जाए।
2. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और प्रत्यर्था संख्या 1, 2 और 3 की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा प्रत्यर्था संख्या 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आजाद राय की दलीलें सुनी गईं।
3. आज पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, निजी प्रत्यर्थागण को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और मुद्दे के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह रिट याचिका अंतिम रूप निपटारा किया जाता है प्रत्यर्था संख्या 3, अर्थात् उप मंडल अधिकारी, तहसील- हांडिया, जिला प्रयागराज को निर्देश दिया जाता है कि उपर्युक्त मामले का निर्णय इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से, संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद विधि के अनुसार, शीघ्रता से और अधिमानतः एक वर्ष अवधि के भीतर किया जाए, जब तक कि कोई कोई कानूनी बाधा नहीं है।

2

17 फरवरी, 2026

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"